पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश	आदेश की पालना का संक्षिप्त

परिवादी सुल्तान अनुपस्थित, हाजारी माफी जरिये अधिवक्ता श्री विकास पालीवाल आज की पेशी हेतु पेश किया गया, सुना जाकर स्वीकार किया गया, शामिल पत्रावली रहे। बहस प्रसंज्ञान सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

परवादी सुल्तान ने आरोपीगण काना वगैरह के विरूद्व एक परिवाद दिनांकित-01/10/2022 को इस आशय का न्यायालय हाजा में पेश किया गया कि मौजा बसाड की आराजी नं 1466,1494/3398, 1494,1494/3397,1495,1503 कुल रकबा-1.4900 हैक्टेयर पर परिवादी का वर्षो से बाप-दादा के समय से कब्जा चला आ रहा है। इन आराजी यात के खातेदार अभियुक्तगण संख्या-2,3 एवं-4 क्रमंशः मुकेश, गोविन्द एवं नानकी कभी इस जमीन पर नहीं आये व इनका कभी जमीन पर कब्जा नहीं रहा है। उक्त आराजी बाबत् RAA में व हाई कोर्ट में प्रकरण लम्बित है,और सभी के विरूद्व एवं नानकी के विरूद्व स्टे है। इस दरम्यिान दिनांक-26/05/2022 को शाम साढे सात बजे वह घर आ रहा था उसकी गैर मौजूदगी में अभियुक्तगण मुकेश,गोविंद एवं नानकी व इनके साथ-5-7 बदमाशान उसकी आराजी में अनाधिकृत प्रवेश कर आये व स्टे होने के बावजूद उसकी निजी पाईपलाईन के मुंह तौड दिये व बैंड तौड दिया व खांखरे के पेड भी उखाड दिये, जिससे उसे करीबन बीस हजार रूपये का नुकसान हुआ। स्टे होने पर भी अभियुक्तगण नहीं माने व पूर्व में भी इन्होनें ट्रैक्टर से हांका था,इनके विरूद्व पुलिस थाना पतापगढ में रिपोर्ट की थी,पुलिस ने उल्टे उन्हें थाने में बिठा दिया व खाली कागज पर दस्तखत करा कर छोडा था।

आगे परिवाद में यह अंकित किया कि तत्पश्चात् दिनांक-06/07/2022 को परिवादी की आराजी पर अभियुक्त काना व उसे साथ अजीत एवं मुकेश मौके पर तलवारे,धारिये एवं रिवाल्वर लेकर जबरन ट्रेक्टर लेकर अनाधिकृत रूप से उक्त आराजी में प्रवेश होकर आराजी की हंकाई करने लगे,मना किया तो मॉ-बहन की गालिया दी और धमकी दी कि इस जमीन को उन्होनें क्रय कर लिया है, तुम जमीन पर आये तो तलवार से काट कर गाड देगें परिवादी ने डर कर जान

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़(राज.)

बचाई। उक्त आराजी पर उसने व परिजन ने सोयाबीन की फसल बोई जो खडी है जिसे अभियुक्तगण नष्ट करने की धमकी दे रहे है। दिनांक-30/09/2022 को सुबह करीबन-10.00 बजे पुनःअभियुक्त कान्ता व इनके साथ करीबन-3-4 बदमाशान गुंडे लोग उसके कुए पर अनाधिकृत प्रवेश कर आये और कहा कि तुने सोयाबीन की फसल तो बो दी है लेकिन इसको हम काटेगें व ज्यादा बोला तो जान से मारकर जमीन में गाड देगें। इस प्रकार की धमकी देकर मारने दौडे। जिस जमीन का विवाद है उस पर RAA का स्टे है ये कहते है कि जमीन अजीत मुकेश किराने वाले ने क्रय की है उनके कहने पर ही यहां आये है। पूर्व में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ को दिनांक-01/07/2022 को आवेदन पेश किया था कोई कार्यवाही नहीं होने पर यह परिवाद न्यायालय में पेश किया है........वगैरह।

उक्त परिवाद दिनांकित-10/10/2022 को धारा-156(3)दप्रसं में पुलिस थाना प्रतापगढ को प्रेषित किया,जहॉ FIR NO-494/2022 अपराध तहत धारा-447,427,504,506 भारतीय दंड संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया एवं बाद अनुसंधान FR अदम वकू झूंठ में इस आधार पर पेश हुई कि प्रश्नगत आराजी पर परिवादी का कब्जा नहीं है, ना ही कब्जेका कोई रिकार्ड पेश किया है। केवल आरोपीगण को परेशान करने और कब्जा करने की नियत से बडा-चढा कर यह झूंठी रिपोर्ट पेश की है। उक्त FR के विरूद्व परिवादी न्यायालय में उपस्थित आया और विरोध याचिका पेश की और समर्थन में साक्ष्य पेश करने हेतु समय चाहा, किन्तु पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात् भी कोई साक्ष्य अपने समर्थन में पेश नहीं की, जिसके लिये न्यायालय केवल अनुसंधान के दौरान एकत्रित की गई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों एवं अन्य दस्तावेजो पर गौर करे तो परिवादी ने पूर्व में प्रश्नगत आराजी पर कब्जे के वाबत् उपखंड अधिकारी प्रतापगढ का एक आदेश क्रमांक-न्याय/2017 दिनांक-09/01/2016 की प्रति पेश की है, जिसमें परिवादी के पिता हनीफ का प्रश्नगत आराजी में से कुछ आराजी पर कब्जा माना है। इसके साथ ही पटवारी पंचायत समिति,बसाड तहसील प्रतापगढ की भी एक रिपोर्ट दिनांक-08/11/2022 की प्रति पत्रावली में सलग्न की है एवं उक्त दिनांक को भी प्रश्नगत आराजी में से कुछ आराजी पर परिवादी सुल्तान का कब्जा पाया था। यद्यपि प्रश्नगत आराजी राजस्व रिकार्ड के अनुसार परिवादी के नाम दर्ज नहीं रही है,

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
प्रतापगढ़ (राज.)

इसकी जमाबंदिया पत्रावली में सलंग्न है, किन्तु प्रश्नगत आराजी के स्वामित्व बाबत् कोई विनिश्चय इस पत्रावली में नहीं दिया जाना है, केवल परिवाद में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि बाबत् विनिश्चय दिया जाना है एवं परिवाद में परिवादी ने दिनांक-26/05/2022,दिनांक-06/07/2022 एवं दिनांक-30/01/2022 तीन बार अलग अलग घटना का विवरण दिया है,किन्तु उक्त तीनों ही घटना के समय परिवादी के अतिरिक्त कोई अन्य प्रत्यक्ष स्वतन्त्र गवाह रहा हो या परिवादी के परिवार के व्यक्ति मौजूद रहे हो, ऐसा परिवाद में उल्लेखित नहीं है। परिवादी ने न्यायालय में किसी भी गवाह के यहाँ तक स्वयं के बयान लेखबद्व नही करवाये है, जबकि विरोध याचिका में मुख्य रूप से परिवादी की यही आपत्ति थी कि पुलिस ने परिवादी एवं उसके गवाहों की साक्ष्य सही ढंग से लेखबद्व नहीं की है,किन्तु परिवादी ने विरोध याचिका के समर्थन में एक भी गवाह को न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया है,जिससे विरोध याचिका की उक्त आपत्ति निराधार प्रतीत होती है।

परिवादी विरोध याचिका या परिवाद में अंकित तथ्यों की पुष्टि नहीं कर पाया है, किन्तु-FR में अनुसंधान अधिकारी द्वारा परिवादी के प्रश्गत भूमि पर कब्जा नहीं होने का जो निष्कर्ष दिया है, जिससे न्यायालय सहमत नहीं है। साथ ही न्यायालय यह भी स्पष्ट करना चाहता है कि परिवादी ने परिवाद के तथ्यों को साबित नहीं किया है, इसलिये FR आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और विरोध याचिका खारिज की जाती है। प्रकरण में किसी भी आरोपी के विरूद्व प्रसंज्ञान लिये जाने का कोई आधार उपलब्ध नहीं होने से FR स्वीकार की जाती है। FR नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तार हो। केस डायरी संबंधित पुलिस थाने को लौटायी जावे।

(दिसी स्वामीRJS)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
प्रतापगढ-राज.